[1][नियम 138च : सोने, मूल्यवान पत्थर, आदि के अंतरराज्यीय संचलन की दशा में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और उनके ई–वे बिलों का जनन

(1) जहां–

(क) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम के नियम 138च के उपनियम (1) के अनुसार, नियम 138 के उपनियम (14) से संलग्न उपाबंध की क्रम संख्या 4 और क्रम संख्या 5 के सामने विनिर्दिष्ट माल के अंतरराज्यीय संचलन के संबंध में सूचना प्रस्तुत किए जाने को आज्ञापक बनाता है, और

(ख) ऐसे माल का पारेषण मूल्य दो लाख रुपए से कम न हो, जो राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त, अधिकारितायुक्त प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई केन्द्रीय कर आयुक्त के परामर्श से अधिसूचित करेगा,

नियम 138 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो ऐसे माल का अंतरराज्यीय संचलन करता है,

(i) पूर्ति के संबंध में ; या

(ii) पूर्ति से भिन्न कारणों से; या

(iii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण,

उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे संचलन के प्रारंभ से पहले ऐसे माल के संबंध में **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में यथा विनिर्दिष्ट सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए एक विशिष्ट संख्या जनित होगी ।

परंतु जहां परिवहन किए जाने वाले माल की पूर्ति ई–वाणिज्य प्रचालक या कूरियर अभिकरण के माध्यम से की जाती है, सूचना, **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में ऐसे इ–वाणिज्य प्रचालक या कूरियर अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(2) **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** में यथा विनिर्दिष्ट सूचना उपनियम (1) में निर्दिष्ट माल के संचलन की बाबत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में सूचना प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, ई–वे बिल **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से जनित होगी ।

(3) **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में दी गई जानकारी सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी, जो **प्ररूप जीएसटीआर–1** में विवरण प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग कर सकेगा ।

(4) जहां इस नियम के अधीन ई–वे बिल सृजित किया गया है, किन्तु माल या तो परिवहन नहीं किया गया है या ई–वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा नियम 138च अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

है, तो ई–वे बिल सृजित होने के चौबीस घंटे के भीतर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द किया जा सकेगा :

परंतु ई–वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा, यदि यह नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अभिवहन में सत्यापित हो चुका हो ।

(5) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई ई–वे बिल सृजित करना वहां अपेक्षित नहीं होगा, –

(क) जहां सीमा शुल्क द्वारा निकासी के लिए माल को सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो परिसर और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक ले जाया जा रहा है ;

(ख) जहां माल परिवहन किया जा रहा है–

(i) एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन से एक सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन तक, या एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह से दूसरे सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह तक सीमा शुल्क बांड के अधीन; या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के अधीन या सीमा शुल्क मुहर के अधीन।

(6) नियम 138, नियम 138क, नियम 138ख, नियम 138ग, नियम 138घ और नियम 138ङ के उपनियम (10), उप–नियम (11) और उप–नियम (12) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियम के अधीन सृजित ई–वे बिल को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, माल के खेप मूल्य से ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जो उक्त खेप के संबंध में, उक्त खेप के संबंध में जारी, यथास्थिति, किसी बीजक, आपूर्ति बिल या परिदत्त बीजक में घोषित, धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाए और इसके अंतर्गत दस्तावेज में प्रभार्य केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर भी सम्मिलित हैं और इसमें ऐसे माल की छूट वाली आपूर्ति के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जहां माल की छूट और कर योग्य आपूर्ति दोनों के संबंध में बीजक जारी किया गया है।]